

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

देवरानी देवी और अन्य

2014 की विविध अपील सं.338

07 अप्रैल 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या कार्यालय द्वारा बताई गई खामियां सही हैं या नहीं?

हेडनोट्स

मोटर वाहन अधिनियम, 1988—धारा 173—अपील—दाखिल करने में त्रुटि—निर्णय की प्रमाणित प्रति—वैधानिक जमा—निर्णय/निर्णय के विरुद्ध अपील दायर—कार्यालय ने निर्णय की प्रमाणित प्रति दाखिल न करने और ₹25,000 की वैधानिक राशि जमा न करने जैसे दोष उठाए—अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसने पहले ही निर्णय/निर्णय की प्रमाणित प्रति दाखिल कर दी है—मोटर दुर्घटना दावों में निर्णय और निर्णय एक दूसरे के स्थान पर आते हैं। निर्णय: न्यायाधिकरण द्वारा जाँच पूरी होने पर सुनाए गए निर्णय/निर्णय की प्रमाणित प्रति पर्याप्त है—निर्णय शीर्षक से कोई अलग दस्तावेज़ आवश्यक नहीं—कार्यालय की आपत्ति अस्वीकार्य और माफ़ की गई—रजिस्ट्री को भविष्य में ऐसा दोष न उठाने का निर्देश दिया गया—अपीलकर्ता को वैधानिक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया—पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय/निर्णय में पक्षों का पूरा विवरण और अधिकारी का नाम शामिल हो ताकि अपील प्रक्रिया में देरी न हो। (पैराग्राफ 7, 8, 11, 15)

न्याय दृष्टान्त

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अधिकांश। मंगली देवी, 2017(2)पीएलजेआर 9—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर दुर्घटना दावों में कार्यालय आपत्ति, पंचाट, निर्णय, निर्णय और पंचाट परस्पर विनिमय योग्य हैं। प्रकरण से उत्पन्न कार्यालय द्वारा बताई गई कमियों में से एक यह है कि पंचाट की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई है तथा दूसरी कमी यह है कि वैधानिक राशि जमा नहीं की गई है।

प्रकरण से उत्पन्न

कार्यालय द्वारा बताई गई कमियों में से एक यह है कि अवार्ड की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई है तथा दूसरी कमी यह है कि वैधानिक राशि जमा नहीं की गई है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से: श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री अभिजीत कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 की विविध अपील सं.338

=====

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपने संभागीय प्रबंधक, मुरारपुर, गया के माध्यम से, प्रबंधक और संवैधानिक वकील, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, चाणक्य वाणिज्यिक परिसर, आर 'ब्लॉक', पटना के माध्यम से अपील और अपील करता है।

.....विपक्षी-1/अपीलकर्ता

बनाम

1. देवरानी देवी पति - रामचंद्र यादव
2. सुषमा कुमारी पिता- रामचंद्र यादव
3. आनंद प्रसाद यादव पिता-रामचंद्र प्रसाद यादव
4. बाबूलाल यादव पिता- रामचंद्र प्रसाद यादव

उपरोक्त सभी गाँव- बर्मा थमन बीघा, पोस्ट/थाना-शेरघाटी, जिला-गया के निवासी हैं ।

.....दावेदार/उत्तरदाता

5. श्री निवास कुमार पिता-श्री सच्चिदानंद शर्मा

निवासी - गाँव गोपालपुर, पोस्ट/थाना-शेरघाटी, जिला-गया (ट्रक का मालिक)

.....विपक्षी-2/उत्तरदाता

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता के लिए : श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
 श्री अभिजीत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : कोई नहीं

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक आदेश

07.04.2023

1.एम.ए.सी. मामला सं. 78 (खं.पी.)/2013 का 56 में माननीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, अस्थायी-III 2001 का द्वारा पारित दिनांक 10.02.2014 के निर्णय/ पंचाट के खिलाफ वर्तमान विविध अपील दायर की गई है। अपीलकर्ता ने विवादित

निर्णय/ पंचाट की एक प्रमाणित प्रति संलग्न की है, लेकिन 25,000/- रुपये की वैधानिक राशि जमा नहीं की है।

2. कार्यालय ने दो दोषों की ओर इशारा किया है-पहला यह कि पंचाट की प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की गई है। दूसरा दोष यह है कि 25,000/- रुपये की वैधानिक राशि जमा नहीं किए गए हैं।

3. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने पहले ही निर्णय/पंचाट की प्रमाणित प्रति दाखिल कर दी है और इसलिए पंचाट की प्रति दाखिल करने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताए गए दोष सतत नहीं हैं, इसलिए इसे माफ किया जा सकता है।

4. इस संदर्भ में, वह *मैसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मंगली देवी और अन्य. 2017 (2) पी.एल.जे.आर. 9* में प्रतिवेदित इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ के फैसले का उल्लेख करते हैं। जिसमें माननीय खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि 'निर्णय' और 'पंचाट' शब्द परस्पर परिवर्तनशील हैं और यह कि न्यायाधिकरण जांच पूरी होने पर निर्णय की घोषणा करेगा, जो निष्पादन योग्य और अपील योग्य होगा।"

5. अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील के साथ बार के अन्य सदस्य भी यह इंगित करने के लिए शामिल होते हैं कि मोस्ट में माननीय डिवीजन बेंच के **मंगली देवी मामला (उपर्युक्त)** फैसले के बावजूद, कार्यालय प्रायः ऐसे दोष की ओर संकेत कर रहा है, जो उक्त निर्णय का पूर्ण उल्लंघन है, जबकि उक्त निर्णय अब भी प्रभावशील है।

6. इसलिए, अतः, वे (अभियोजन पक्ष/अधिवक्ता) यह प्रस्तुत करते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया जाए कि यदि अपीलकर्ता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दावे की याचिका में पारित निर्णय/ पंचाट की प्रमाणित प्रति जांच पूरी होने पर दाखिल कर दी है, तो कार्यालय द्वारा उक्त दोष की ओर संकेत न किया जाए

7. मैंने मामले के रिकॉर्ड को देखा और अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील और बार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन पर विचार किया। मैं इसमें पाया कि **मंगली देवी मामला (उपर्युक्त)**, इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ ने सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और मामले-कानूनों पर विचार करने के बाद स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा जांच पूरी होने पर सुनाया गया निर्णय, पंचाट के साथ विनिमेय है और यह निष्पादन योग्य और अपील योग्य है और इसलिए अलग से निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाँच के बाद घोषित किया गया निर्णय ही पंचाट है। इसलिए, यदि जांच पूरी होने पर घोषित निर्णय/पंचाट की प्रमाणित प्रति अपीलकर्ता द्वारा दायर की जाती है, तो कार्यालय आपत्ति नहीं उठा सकता है या दोष को इंगित नहीं कर सकता है। वह पंचाट दाखिल नहीं किया जाता है।

8. इसलिए, पंचाट दाखिल करने के संबंध में कार्यालय द्वारा बताए गए दोष कानून की नजर में सतत नहीं हैं, इसलिए तदनुसार माफ कर दिया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि दावे के मामलों में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा जांच पूरी होने पर घोषित निर्णय/पंचाट की प्रमाणित प्रति अपील ज्ञापन के साथ दायर की जाती है तो वह भविष्य में इस तरह के दोष को इंगित न करे।

9. जहाँ तक दोष सं.2 संबंधित है, अपीलकर्ता को चार सप्ताह के भीतर वैधानिक राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

10. यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि नियमित दिवानी अपील के मामले में भी, अपील के ज्ञापन को अब डिक्री की एक प्रति के साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1999 में भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI के नियम 1 में संशोधन , जिसके तहत "डिक्री" शब्द को भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता, के आदेश XLI के नियम 1 में "निर्णय" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है।

11. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित पंचाट/निर्णय और मुकदमों या अपीलों में दीवानी न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के संदर्भ में, बार के सदस्यों ने इंगित करते हैं कि कई मामलों में, न्यायाधिकरणों या सिविल न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी निर्णय/पंचाट में कार्यवाही के सभी पक्षों के नाम और विवरण का उल्लेख करना छोड़ देते हैं। इस तरह की चूक न केवल गंभीर अनियमितता है, बल्कि अपील के निपटारे में असुविधा और देरी का कारण भी है। सभी पक्षों का विवरण न होने के कारण, कार्यालय यह रिपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है कि अपीलकर्ता ने सभी आवश्यक या प्रासंगिक पक्षों को शामिल किया है या नहीं और कि अपीलकर्ता ने अपील ज्ञापन में पक्षों का सही पता प्रदान किया है या नहीं। इसलिए, निर्णय/पंचाट को सभी पक्षों को उनके विवरण के साथ शामिल करके निर्णयों/ पंचाटों में संशोधन के लिए संबंधित अदालत को भेजा जाना आवश्यक है। परिणाम अपील के निपटारे में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, जिसे रोका जा सकता था यदि निर्णय/पंचाट में पक्षकारों का विवरण उनके विवरण के साथ प्रदान किया गया होता।

12. बार द्वारा यह भी बताया गया है कि कभी-कभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के नाम भी निर्णय/पंचाट में गायब पाए जाते हैं।

13. बार के सदस्यों का कहना है कि कोई भी फैसला पक्षकारों के नाम, उनके विवरण के साथ शामिल किए बिना, पूरा नहीं किया जा सकता है। पक्षकारों का विवरण और न्यायालय/न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का नाम सभी प्रकार के निर्णयों के आवश्यक तत्व हैं। प्रासंगिक तथ्यों का कोई भी विवरण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि कार्यवाही के सभी पक्षों को निर्णय में वर्णित नहीं किया जाता है, और न ही कार्यवाही के पक्षों के विवरण के अभाव के लिए निर्णय/पंचाट में तथ्यों और कानून का कोई सार्थक विश्लेषण होगा।

14. मैं बार में इस निवेदन से पूरी तरह सहमत हूँ कि दीवानी अदालतों या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णयों या पंचाटों में सभी पक्षों का विवरण उनकी

पहचान और आवासीय पते और पीठासीन अधिकारी के नाम के प्रासंगिक विवरण के साथ होना चाहिए। निर्णय इस तरह से लिखे जाने चाहिए कि एक डिक्री की सभी सामग्री निर्णय में पाई जाए, आखिरकार, डिक्री और कुछ नहीं बल्कि निर्णय का परिचालन हिस्सा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक डिक्री में न केवल पीठासीन अधिकारी का नाम होता है, बल्कि इसमें कार्यवाही के सभी पक्षों का विवरण भी होता है। निर्णय एक सामान्य श्रेणी के समान है और आदेश/डिक्री उसका विशेष प्रकार है। डिक्री में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो फैसले में नहीं पाया जा सके। डिक्री निर्णय के बाहर से नहीं लिया जा सकता है। निर्णय की विषय-वस्तु के अनुसार डिक्री लिया जाता है। डिक्री भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश XX के नियम 6 द्वारा प्रदान किए गए निर्णय से सहमत होना चाहिए।

15. निर्णय/पंचाट में पक्षकारों के विवरण से अपीलीय न्यायालयों के कार्यकरण में भी सुविधा होगी और अपीलों के त्वरित निपटारा में मदद मिलेगी, विशेष रूप से जब दीवानी मुकदमों में निर्णय अपील योग्य हैं और अपीलकर्तों को अब 1999 के भारतीय दीवानी प्रक्रिया संहिता, के आदेश XLI के नियम 1 में संशोधन को देखते हुए अपील दायर करने के लिए डिक्री की प्रति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि पहले बताया गया है और जब मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा जांच पूरी होने पर सुनाया गया निर्णय पंचाट है और अपील योग्य और निष्पादन योग्य है। ऐसी स्थिति में, यदि अपील ऐसे निर्णय/ पंचाट के साथ दाखिल की जाती है जिसमें कार्यवाही में शामिल सभी पक्षों का विवरण नहीं है, तो अपील दर्ज करने से पहले अपील में दोषों की रिपोर्टिंग हेतु अपीलीय न्यायालयों के रजिस्ट्री द्वारा ऐसी अपीलों को संसाधित करने में होने वाली असुविधा और परिणाम की कल्पना की जा सकती है। रजिस्ट्री यह सत्यापित नहीं कर सकती है कि क्या सभी आवश्यक पक्ष अपील में शामिल हैं और क्या अपील में दिए गए पक्षों का पता सही है और नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष दिए गए दलों के पते से मेल खाता है। ऐसी स्थिति में, पहचान और आवासीय पते के संबंध में सभी पक्षों के नामों को उनके विवरणों के साथ शामिल करके

संशोधन के लिए निर्णय को नीचे दी गई अदालत में भेजने की आवश्यकता होगी। स्पष्ट परिणाम यह होगा कि दिवानी अदालतों और न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा की गई अवैध चूक के कारण अपील के निपटारे में अत्यधिक विलम्ब होगा।

16. इसलिए, महापंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति दिवानी अदालतों या मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच सूचना और आवश्यक जानकारी के लिए प्रसारित करें। इस आदेश की एक प्रति बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक को भी भेजी जाए ताकि प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के बीच इस विषय पर जागरूकता पैदा की जा सके। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलकर्ता ने दावे की याचिका में जांच पूरी होने के बाद मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय/पंचाट की प्रति दाखिल कर दी है, तो रजिस्ट्री द्वारा विविध अपील में पंचाट दाखिल करने के संबंध में अब किसी भी दोष की ओर संकेत न किया जाए।

17. इस मामले को पुनः सुनवाई हेतु 12.05.2023 को सूचित किया जाए।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

चंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।